



04 - देवेंद्र फडणीस के साथ पटरी पर महाराष्ट्र की राजनीति



05 - बच्चों में मधुमेह और नानाव की स्थिति विताजनक

A Daily News Magazine

इंदौर

शनिवार, 07 दिसंबर, 2024



इंदौर एवं नेपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 10 अंक 70, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, गूढ़ रु. 2 (डाक पंजीयन संख्या: MP/IDC/1529/2016-2018)



06 - बैतूल की 10 मिट्टी प्रयोगशालाओं में से, 9 पर लगे ताले



07 - आल इंडिया मुख्य तौली कर्मी ने बांगलादेश में हिन्दू नागरिकों पर अत्याचार...

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र

प्रसंगवश

दक्षिण कोरिया में आगे क्या होगा, उत्तर कोरिया क्यों है चुप?

लुइस बरुचो और रशेल ली

Dिक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक-योल ने मंगलवार को देश में मौर्शिल लॉ की घोषणा करके सभी को चौका दिया। राष्ट्रपति यून सुक-योल ने ये कदम उठाने की वजह उत्तर कोरिया से मिल सही धमकी और 'देश विरोधी ताकतों' को बताया था। वैसे, उनका यह कदम राजनीतिक ज्यादा दिखा। इसके विरोध में बड़ा प्रदर्शन हुआ और आपातकालीन संसदीय बोटिंग की मांग हुई। संसद में इस फैसले को नामंजूर कर दिया। इसके बिपक्ष राष्ट्रपति यून के खिलाफ महाभियोग शुरू करने की तैयारी कर रहा है। विपक्ष संसदों ने राष्ट्रपति यून पर 'राजद्रोह' जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति यून के इस कदम के खिलाफ हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफे की मांग की।

इस बीच, दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री किम योंग-हून ने मौर्शिल लॉ लागू करने की घोषणा करने की 'पूरी जिम्मेदारी' लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 'भ्रम और तनाव' पैदा करने को लेकर जनता से माफी भी मांगी।

राष्ट्रपति यून ने साल 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव जीता था। दक्षिण कोरिया में साल 1980 से स्वतंत्र तौर पर राष्ट्रपति चुनाव की शुरुआत हुई है। तब से लेकर अब तक को यह सबसे करीबी मुकाबला था। 63 वर्षीय यून ने राष्ट्रपति चुनाव में अपने अधिभान के दैनिक उत्तर कोरिया को विभाजनकारी माने जा रहे लैंगिक मुहुरों के खिलाफ कड़ा रुख्य अपनाया था। राष्ट्रपति रहते वो गलतियों और राजनीतिक घोटालों के लिए बदनाम हो गए। यही वजह है कि उनकी सरकार

कमजोर पड़ चुकी है। एक सांकेतिक में पूर्व विदेश मंत्री काग क्यूंग-व्हा ने कहा, 'राष्ट्रपति यून का निर्णय यह बताता है कि वो इस बात से विक्कुल बेंखबर हैं कि इस समय उनका देश वास्तव में किसी भी धमकी को बताया था। वैसे, उनका यह कदम उठाने की वजह उत्तर कोरिया से मिल सही धमकी और 'देश विरोधी ताकतों' को बताया था। वैसे, उनका यह कदम राजनीतिक ज्यादा दिखा। इसके विरोध में बड़ा प्रदर्शन हुआ और आपातकालीन संसदीय बोटिंग की मांग हुई। संसद में इस फैसले को नामंजूर कर दिया। इसके बिपक्ष राष्ट्रपति यून के आदेश वापस ले लिया। अब विपक्ष राष्ट्रपति यून के खिलाफ महाभियोग शुरू करने की तैयारी कर रहा है। विपक्ष संसदों ने राष्ट्रपति यून पर 'राजद्रोह' जैसा व्यवहार' करने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति यून के इस कदम के खिलाफ हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफे की मांग की।

उनमें से एक है हांग क्यों आहा। वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, 'राष्ट्रीय संसद के स्पीकर वू वोन शिक और यून की पार्टी के नेता हान डोंग-हून को गिरपतार किया जाए, क्योंकि इन नेताओं ने राष्ट्रपति की ओर से लिए जाने वाले फैसले में अद्वचन डालने की कोशिश की है।' हांग ने कहा, 'अब उत्तर कोरिया के समर्थन कम्युनिटी में खुला किया जाए है। राष्ट्रपति यून को इस समाजे में मज़बूती से जवाब देना चाहिए। साथ ही इस समाजे की जांच करवाकर ऐसे नेताओं को बाहर करने के लिए सभी आपातकालीन अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए।'

अब सारी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यून को अब महाभियोग का सामना करना चाहिए? यून को खुला किया वह दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति होने की हांगे, जो यून तरह की पारिथिया के पहले राष्ट्रपति होने की हांगे, जो यून तरह की पारिथिया का समाप्ति कीरणी है। छठे विपक्ष दलों ने यून के खिलाफ महाभियोग चलाए जाने का प्रस्ताव रखा है। 72 घंटों में इसके लिए मतदान होना चाहिए। सभी सांसद शुक्रवार (6 दिसंबर) या शनिवार (7 दिसंबर) को इसके लिए इकड़ा होंगे। इस प्रस्ताव को पास करने के लिए 300 सदस्यों वाली संसद में दो

तिहाई सांसदों यानी 200 वोट का होना ज़रूरी है। विपक्षी दलों के पास पर्याप्त संख्या है।

हालांकि यून की पार्टी ने भी उके इस कदम की आलोचना की है, लेकिन पार्टी क्या निर्णयक फैसला लेगी, यह सामने आना बाकी है। ऐसे में यदि सत्ताधारी दल के कुछ सांसदों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया तो यह पास हो जाएगा। यदि संसद इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे देती है, तो यून की ताकत तलातल प्रभाव से निर्लिपित कर दी जाएगी और प्रधानमंत्री हान दक्ष-सू

प्रधानमंत्री हान दक्ष-सू प्रधानमंत्री हो जाएगी। इस बीच, नौ सदस्यों की परिषद यानी संवेदनात्मक अदालत दक्षिण कोरिया की सकारात्मकीया की शाकाओं की देख-रेख करेगी। इस समाजे में इसे ही अंतिम फैसला लेना है। यदि संवेदनात्मक अदालत ने महाभियोग के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया तो यून को अपना पद छोड़ना होगा। और अगले 60 दिनों में राष्ट्रपति चुनाव हो जाएगा। यदि यह प्रस्ताव खारिज हो जाता है, तो यून राष्ट्रपति बने रहेंगे।

यह घटनाक्रम साल 2016 में हुए राष्ट्रपति पार्क यून हें के निष्कासन की बाय दिलाता है। इस समाजे में यून ने अभियोग पक्ष के भूत्याचार मामले का नेतृत्व करने में अहम भूमिका निभाई थी। पार्क को साल 2022 में रिहा कर दिया गया था। उन्होंने चार साल और नौ महीने जेल में बिताए थे।

इसी तरह साल 2004 में संवेदनात्मक अदालत ने संसद के महाभियोग के प्रस्ताव को पलट दिया था। इसके बाद राष्ट्रपति रोह मूँहान अपने पद पर बने रहे थे। यून का मार्शल लॉ लागू करना दक्षिण कोरिया में पिछले 45 सालों में किया गया ऐसा पहला ऐसा है। इसने देश के इतिहास में इस आपातकालीन कदम के

गत इस्तेमाल से जुड़े पुराने घावों को फिर हड़ा कर दिया है। मार्शल लॉ का उद्देश्य राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति को संभालना था। लेकिन इसके उलट यह इसका इस्तेमाल अस्थायिति को दबाने, अपनी सत्ता को बनाए रखने और लोकतंत्र को नुकसान पहुँचाने के एक औजार के रूप में किया जाता रहा है। इस कारण इसकी आलोचना हुई है।

कई लोग ऐसी घटना को उस लोकतांत्रिक समाज के लिए बड़ी चुनौती के रूप में देखते हैं, जहां दशकों से ऐसा नहीं हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि यह दक्षिण कोरिया की लोकतांत्रिक छवि को अपेक्षित वृद्धि के बड़ी चुनौती के रूप में देखते हैं, जहां दशकों से ऐसा नहीं हुआ। यदि यह प्रस्ताव खारिज हो जाता है, तो यून राष्ट्रपति बने रहेंगे। यह घटनाक्रम साल 2016 में हुए राष्ट्रपति पार्क यून हें के निष्कासन की बाय दिलाता है। इस बार उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। समाज एजेंसी योन्हाप के अनुसर उत्तर कोरिया के खिलाफ सुरक्षा स्थिति दिखा रही है।

हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह अभी तक साफ नहीं है कि यून ने उत्तर कोरिया के खतरे की बात क्यों कही।

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

नआपकालोनमहंगाहोगा नही अभी ईएमआईबढ़ेगी

आरबीआई ने रेपोर्ट 6.5 फीसदी पर रखा बटकरार

महंगाईबढ़ने की आशंका, घट सकती है इकोनॉमिक ग्रोथ



मुंबई (एजेंसी)। आपके मौजूदा लोन महंगी नहीं होंगे, न ही आपके ईएमआईबढ़ेगी। ऐसे इलाइए, व्योंगीकॉर्प के भारतीय रिजर्व बैंक ने व्याज दरों को 6.5 फीसदी बढ़ाकर 6.5 फीसदी की थी। फरवरी 2023 में दरों 0.25 फीसदी बढ़ाकर 6.5 फीसदी की थी। कोलेटरल फ्री एप्लिकेशन लान यानी कोई सामान गिरवा रखे बिना कर्ज देने की सीमा 1.6 लाख रुपए प्रति उधारकर्ता से बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति उधारकर्ता करना का फैसला लिया गया है। एप्लिकेशन लाइन यानी अदालत में बढ़ाकर 6.5 फीसदी की गई थी। बैंकों को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी ने यून के लिए अपने विवरणों को बदलाव किया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी ने यून के लिए अपने विवरणों को बदलाव किया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी ने यून के लिए अपने विवरणों को बदलाव किया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी ने यून के लिए अपने विवरणों को बदलाव किया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अ

